भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1669

(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

भ्रामक विज्ञापन

1669. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2024 से अब तक प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए विज्ञापनों की कुल संख्या कितनी है और वास्तव में प्लेटफॉर्म-वार कितने स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (एसडीसी) दाखिल किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 7 मई, 2024 के निर्देश के अनुपालन के संबंध में किसी कमी की पहचान की है और यदि हाँ, तो गैर-अनुपालन की प्रकृति क्या है और क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान बिना वैध एसडीसी के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए गए मामलों, यदि कोई हों, की संख्या कितनी है और कितने मामलों में दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई है; और

(घ) क्या सरकार की विशेषकर छोटे और ग्रामीण विज्ञापनदाताओं के लिए नौकरशाही के बोझ को कम करने के लिए सभी मीडिया साधनों में अनुपालन तंत्र को सुव्यवस्थित और एकीकृत करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित सभी विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना अनिवार्य है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य - रिट याचिका (सिविल) सं. 645/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2024 के आदेश के अनुपालन में, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (एसडीसी) के लिए एक नया फीचर ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल पर शुरू किया गया है।

विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विज्ञापन के लिए वार्षिक एसडीसी अपलोड करने के लिए दिनांक 03.07.2024 को एक परामर्श जारी किया गया था।

दिनांक 25.07.2025 तक दायर एसडीसी का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**पोर्टल**	**दायर एसडीसी**
1.	भारतीय प्रेस परिषद	1,45,288
2.	ब्रॉडकास्ट सेवा	16,869

****